<u>कार्यालय प्रधानाचार्य :: राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) 285001</u>

<u>PRINCIPAL OFFICE :: RAJKIYA MEDICAL COLLELE, JALAUN(ORAI)285001</u>

पत्रांक संख्या–3769 /रा0मे0का0जा0/अधि0/2025 दिनांक–26/09/2025

कार्यालय–आदेश

राजकीय मेडिकल कालेज जालौन उरई में माह के प्रत्येक मंगलवार को विभिन्न विभागो में आचार्य, सह–आचार्य, एवं सहायक आचार्य संविदा के आधार पर रिक्त पदो को भरने के लिये साक्षात्कार सम्पन्न किया जाता है, दिनॉक 30 सितम्बर 2025 को स्थानीय अवकाश होने के कारण साक्षात्कार को स्थगित कर आगामी मंगलवार को साक्षात्कार सम्पन्न किया जायेगा।

(डा0 अरविन्द त्रिवेदी)
प्रधानाचार्य

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

पत्रांकः /14–आर0ए0 दिनांकः 01 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ की विज्ञप्ति संख्या 870/तीन–2024–39(2)/2016 दिनॉक 17.12.2024 द्वारा निर्गत वर्ष 2025 के सार्वजनिक अवकाश की सूची के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी के आदेश दिनॉक 19.12.2024 द्वारा स्थानीय तीन घोषित अवकाशों के कम में महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयन्ती दिनॉक 05. अप्रैल, 2025 (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था परन्तु दिनॉक 05 अप्रैल, 2025 को सम्पूर्ण समाधान दिवस होने के कारण घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है। स्थानीय स्तर पर दशहरा (महाअष्टमी) का पर्व मनाया जाता है जिसकी महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए दिनॉक 30 सितम्बर, 2025 (मंगलवार) का स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जाता है। वर्ष 2025 की सार्वजनिक अवकाश की सूची को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या 153 /14–आर0ए0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ।
2. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
3. पुलिस अधीक्षक, जालौन।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(नमामि गंगे) जालौन।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
8. नगर मजिस्ट्रेट, उरई/प्रभारी अधिकारी (सं0) कलेक्ट्रेट उरई।
9. मुख्य प्रबन्धक, अग्रणी बैंक, इण्डियन बैंक, जिला पंचायत, उरई।
10. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद जालौन।
11. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जालौन।
12. जिला सूचना अधिकारी, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन।